



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

18 आश्विन 1944 (श0)

(सं0 पटना 822) पटना, सोमवार, 10 अक्टूबर 2022

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

अधिसूचना

6 अक्टूबर 2022

विषय : बिहार राज्य में वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के आलोक में घोड़परास एवं जंगली सूअर को आखेट करने हेतु दक्ष आखेटकों/शूटर का पैनल तैयार करने के संबंध में।

सं0 वन्य प्राणी-02/2002 (खंड) 755(ई0)/प०व०ज०प०—बिहार राज्य में घोड़परास तथा जंगली सूअर से खेती/बागवानी की फसल तथा मनुष्यों के जान-माल की क्षति की समस्या काफी विकट है। अधिकांश जिलों के कृषि क्षेत्र इन वन्यप्राणियों से प्रभावित हैं।

2. इसे देखते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की अधिसूचना संख्या-वन्यप्राणी-01/2013-127(ई0)/प०व०ज०प०, दिनांक 18.02.2022 द्वारा बिहार राज्य के सभी ग्राम पंचायतों के मुखिया को उनकी पंचायत की सीमा के अंदर गैर-वन ईलाकों में ऐसे घोड़परास तथा जंगली सूअर, जो खेती/बागवानी की फसल तथा मनुष्यों के जान-माल के लिए खतरनाक हो चुके हैं, को आखेट/मारने का आदेश देने हेतु वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के अंतर्गत प्राधिकृत पदाधिकारी नियुक्त किया गया है तथा मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, बिहार को तत्संबंधी शक्तियों का प्रत्यायोजन इन्हें करने हेतु प्राधिकृत किया गया है।

3. उपर्युक्त अधिसूचना के आलोक में मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, बिहार के कार्यालय के आदेश संख्या-04, दिनांक 16.03.2022 सह-पठित ज्ञापांक-169 दिनांक 16.03.2022 द्वारा वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 11(1)(बी) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रत्यायोजन इन प्राधिकृत पदाधिकारी-सह-ग्राम पंचायत के मुखिया को किया गया है।

4. उपर्युक्त अधिसूचना एवं कार्यालय आदेश के अनुसरण में तथा ग्राम पंचायतों के मुखिया को उनकी पंचायत की सीमा के अंदर गैर-वन ईलाकों में ऐसे घोड़परासों तथा जंगली सूअरों के आखेट हेतु प्राधिकृत किये जाने के आलोक में, बिहार राज्य में विशेषज्ञ/दक्ष आखेटकों (शूटर) का पैनल तैयार किये जाने का मामला विचाराधीन था।

5. बिहार राज्य की अधिसीमा अंतर्गत उपर्युक्त अधिसूचना के आलोक में कार्रवाई हेतु मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, बिहार के कार्यालय के उपर्युक्त आदेश की कड़िका-3 में निर्दिष्ट अवधि दिनांक-18.02.2022 से पाँच (05) वर्षों अथवा राज्य सरकार द्वारा संशोधन किये जाने तक के लिए निम्नांकित विशेषज्ञ/दक्ष आखेटकों का पैनल गठित किया जाता है:—

क्रमांक	आखेटक का नाम	पता	ई०-मेल	मोबाईल नं०
1	श्री नबाव शफथ अली खान	सचिव, वन्य जीव ट्रैक्वी फोर्स, रजि. ऑफिस-11- 5-292, हिल पार्क रोड, रेड हिल्स, हैदराबाद-500 004	info@wildlifetranquif.orce.com	9849001711
2	श्री असगर अली खान	अली विला, 11-5-292, हिल पार्क रोड, रेड हिल्स, हैदराबाद-500 004	asghar_2002@yahoo.com	9443215097
3	मोहम्मद शैलुद्दीन फारुकी	6-3-1239/1/1 सोमाजीगुडा, राजभवन रोड, खैरताबाद, हैदराबाद, तेलंगाना- 500004	munasohail@yahoo.com	9391143306
4	श्री मारकस जी० कैपोस	ए-8, वेद विहार कॉलोनी, सुभाष नगर त्रिमुलघेरी, सिकंदराबाद-800015	marcuscampos@hotmail.com	9848014516
5	श्री इरला चन्दन	ए-1 एस.के.आर. इन्क्लेव, प्लॉट 47 नुडा इन्क्लेव, रोड नं० 7, जुबली हिल्स, हैदराबाद, तेलंगाना-500033	chandan.earla@gmail.com	9908303030 6301375799
6	श्री सुमन मंडल	ग्राम+पो०-बैसाली, बामनगाछी, पी.एस- दत्तापुपुर, जिला-24, परगना (उत्तर)- 743248, पश्चिम बंगाल	sumanmondal175170@gmail.com	8777682235
7	श्री पी० राज गोपाल रेड्डी	3-5-111, नारायणगुडा, न्यू साईंस कॉलेज के सामने, नारायणगुडा, हैदराबाद- 500029 तेलंगाना	rgreddy59@yahoo.co.in	9848045676
8	श्री आलोक कुमार	आलोक कुमार, पिता-स्व० उदय नारायण सिन्हा, मो.अयाची नगर, बेता थाना- लहेरियासराय, दरभंगा- 846003	aloksingh.nutan@gmail.com	9431219102 9934920551
9	श्री कय्याम अखतर	ग्राम+पो०-इटवॉ, थाना- मोहनपुर, बोध गया, जिला-गया	akhterqueyam7496@gmail.com	9973979889
10	मो० अशरफ उल हक	5, मार्कस स्ट्रीट कोलकाता- 700016 (जमुना बैंकवेट के सामने) पश्चिम बंगाल	haque.ashraf13@gmail.com	9580527030
11	श्री शक्ति कुमार	मकान संख्या-24, रोड नम्बर-10, पूर्वी पटेल नगर, पटना- 800023 पो.+थाना- शास्त्रीनगर	Shaktikumarsingh36@gmail.com	8873600156 9771019476
12	श्री तारीक रजा खान	एस/ओ अहमद रजा खान, 148, 8 पाटलिपुत्रा कॉलोनी, पटना-बिहार-800013	trkhan5@gmail.com	9525500000
13	श्री नबाव साद बिन आसिफ	801, वुडलैंड अपार्टमेन्ट 14 / 113, सिविल लाईन्स, कानपुर-208001 उत्तर प्रदेश	office.sherkot@gmail.com	9580527030

6. उपर्युक्त अधिसूचना एवं कार्यालय आदेश के अधीन कार्रवाई किये जाने हेतु उपर्युक्त पैनल से आखेटकों की सेवायें ली जा सकती हैं। जब भी उपर्युक्त पैनल से किसी आखेटक की सेवायें ली जायें, तो उन्हें नजदीकी वन विश्रामागार में आवासन एवं अन्य मूलभूत व्यवस्थाएँ उपलब्ध करा दी जायें।

7. उपर्युक्त पैनल में अंकित आखेटक द्वारा मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, बिहार के कार्यालय के आदेश संख्या-04, दिनांक-16.03.2022-सह-पठित ज्ञापांक-169 दिनांक 16.03.2022 में अंकित शर्तों का पूर्णरूपेण पालन करना अनिवार्य होगा। इन शर्तों का उल्लंघन किये जाने की दशा में संबंधित आखेटक के विरुद्ध नियमानुकूल कार्रवाई की जा सकेगी एवं उन्हें उपर्युक्त पैनल से हटाया जा सकेगा।

8. निर्धारित अवधि समाप्त होने पर आवश्यकतानुसार एवं समीक्षोपरांत इस पैनल का अग्रेतर अवधि विस्तार करने पर विचार किया जा सकेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
धीरेन्द्र पासवान,
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 822-571+500-डी0टी0पी0
Website: <http://egazette.bih.nic.in>